न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 16/2016

जगदीश पुत्र भौंरी लाल शर्मा, आयु 58 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.... ..निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती ज्याना देवी पत्नी श्री रेवडराम, जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिये सरपंच।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 04.11.2009 व पट्टा संख्या 29 ग्राम पंचायत सायपुरा पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर।

निर्णय दिनांकः 16.11.2017

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सायपुरा, पंचायत समिति, जमवारामगढ के निर्णय/आदेश दिनांक 04.11.2009 जिससे ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा ज्याना देवी पत्नी श्री रेवडराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय लिये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या–2 की ग्राम पंचायत सायपुरा की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई। मिसल अधीनस्थ न्यायालय उनके पत्रांक 4713–14 दिनांक 14.07.2017 से प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सायपुरा ने नियमों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है व निर्णय पारित करने से पहले निगरानीकारान को सूचना नहीं दी तथा सभा में निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकारान को अवगत नहीं कराया गया है। ग्राम सायपुरा विवादित भूमि सन् 1993 से लेकर दिनांक 18.12.2012 तक जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा ग्राम पंचायत का विवादित भूमि पर स्वामित्व नहीं था। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने फर्जी तरीके से पट्टा जारी करके अवैधानिक कार्य किया है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत सायपुरा को पट्टा लेने का आवेदन किया गया उस पर गैर निगरानीकर्ता 1 के हस्ताक्षर नहीं है तथा आवेदन में आबादी पुख्ता निर्माण का पट्टा माना गया है जबकि नक्शें में किसी प्रकार का निर्माण नहीं बताया गया है। इस प्रकार गैर

गया है जबकि नक्शें में किसी प्रकार का निर्माण नहीं बताया गया है। इस प्रकार गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने तथ्य छुपाकर पंचायत के सामने पेश किए है। पट्टे पर गवाहान भी गैर निगरानीकार संख्या 1 के निजी व्यक्ति है। विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है और अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। मौके पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा भी नहीं है। ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा केवल सरपंच के हस्ताक्षरो से बिना ग्राम पंचायत की पूर्ण कौरम में निर्णय लिये दिनांक 04.11.2009 को पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा ना ही कोई आपत्ति नोटिस निकाला गया एवं मनमर्जी से ही उक्त विवादित आदेश पारित कर पटटा जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस दिन विवादित आदेश दिनांक 04.11.2009 को पारित किया गया उस दिन ग्राम पंचायत की मींटिग नहीं थी एवं पंचायत की कोरम भी अपूर्ण थी। गैर निगरानीकार संख्या 1 को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सायपुरा ने विवादित पट्टा फर्जी तैयार करके दिया गया है। यह केवल निगरानीकर्ता की पैतृक सम्पत्ति को गैर निगराकर्ता द्वारा हडपने के लिए किया गया है। उक्त विवादित पट्टे में सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा पंचायत कार्यवाही व अन्य दस्तावेजों पर भी पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए पट्टा नियमविरूद्व जाकर पारित किए जाने से निरस्त करने योग्य है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा नियम विरूद्व एवं न्याय के सिद्वान्तों की पालना न करते हुए पारित किया गया है। अतः निगरानकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2007 को निरस्त कर पट्टा संख्या 29 खारिज किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सत्यमेव जयते जयपुर (राज.)

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक द्वारा दौराने बहस अपने जवाब को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित सम्पत्ति से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट तीन वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। उक्त आवेदन पत्र तत्कालीन सरपंच महोदय ने कोरम के समक्ष उक्त प्रस्ताव को रखा गया तथा सर्वसहमति से मौके की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निर्णय लिया गया निर्णय में तीन पंचो को मौके रिपोर्ट लेने हेतु लिखित नोटिस दिया गया जिसकी रिपोर्ट तीन पंचों महोदय द्वारा दिनांक 21.03.2007 को मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई गई जिसे दिनांक 20.05.2008 कोरम मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं आने के पश्चात दिनांक 04.11.2009 को सर्वसहमति से गैर निगरानकार संख्या 1 के हक में 260/– रूपये जमा कर पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित पट्टे की सम्पत्ति पर गैर निगरानीकार संख्या 1 पर आदिनांक तक काबिज चले आ रहे है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व स्पष्ट होता हो।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए मौका कमेटी गठित की जिसके कम में दिनांक 21.03.2007 को तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीनों वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र दिनांक 20.05.2008 को जारी किया। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा संकल्प संख्या 14 द्वारा दिनांक 04.11.2009 के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 को उक्त विवादित सम्पत्ति का पट्टा जारी किया। निगरानीकार द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित आदेश दिनांक 04.11.2009 को जारी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है जो कि तथ्य गलत है। निगरानीकर्ता का कथन गलत है कि गैर निगरानीकार ने विवादित पट्टे के आवेदन के लिए ग्राम पंचायत में कोई आवेदन नहीं किया तथा निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/तथ्य न्यायालय में पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीकर्ताओं की विवादित सम्पत्ति पैतृक है व निगरानीकार का विवादित सम्पत्ति पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली बनाई गई है व नियमानुसार आपत्ति नोटिस निकाला गया है एवं पंचायत मीटिंग में दिनांक 04.11.2009 को पटटा जारी किया गया है। वार्ड पंच मौका निरीक्षण रिपोर्ट से प्राप्त होने पर ही गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में विवादित पट्टा संख्या 29 जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सायपुरा द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार विधिसम्मत ही विवादित पट्टा जारी किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/11/17

(डा. मोहन लाल यादव)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर